चिकित्सा उपचार प्रतिपूर्ति

संख्या– 1814 / पाँच–6–11– 4017 / 11 — 4, अगस्त, 11, तथा 20, सितम्बर, 2011

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

SONI PHOTO STAT CENTRE
SADAR TAHASIL FAIZABAD

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँकः 4 अगस्त, 2011

विषयः– सरकारी सेवकों के चिकित्सा उपचार तथा प्रतिपूर्ति के संबंध में दिशा– निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय–समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा प्रदेश के भीतर/बाहर स्थित निजी चिकित्सा संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों के सापेक्ष प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों की सुविधाओं का उपयोग करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2. इसी कम में शासनादेश संख्या–1061/पाँच–6–2009 दिनांक 08 मई, 2009 निर्गत किया गया । कालान्तर में यह अनुभव किया गया कि इस शासनादेश के निर्गत होने से सरकारी सेवकों के उपचार पर व्यय होने वाली धनराशि की प्रतिपूर्ति और जटिल हो गयी तथा समय से बेहतर उपचार हेतु संदर्भन में कठिनाई आने लगी। अतएव शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या–1061/पाँच–6–2009 दिनांक 08 मई, 2009 को निरस्त करते हुए इससे पूर्व की भाँति चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू की जाती है।

3. सरकारी सेवकों (सेवारत/सेवानिवृत्त) तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार एवं प्रतिपूर्ति हेतु समय–समय पर निर्गत शासनादेश यथा शासनादेश संख्या–2428/पाँच–7–97–294/96, दिनांक 23 जुलाई, 1997, शासनादेश संख्या–1209/पाँच–6–2004– 294/96 टी0सी0 दिनांक 09 अगस्त, 2004, शासनादेश

संख्या—427 / पाँच—6—2005—294 / 96 टी0सी0 दिनांक 18 फरवरी, 2005, शासना
संख्या—3055 / पाँच—6—2007—294 / 96 टी0सी0—II दिनांक 11 फरवरी, 2008 एवं
सुसंगत शासनादेश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे तथा उनमें दी गयी व्यवस्थानुसार ही चिकि
उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 1814 (1) / पाँच—6—11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5— महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6— निदेशक, चिकित्सा उपचार,स्वास्थ्य भवन,लखनऊ।
7— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0।
8— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
9— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 एस0परिहार)
अनु सचिव।